रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 27—दिसम्बर 3, 2010 (अग्रहायण 6, 1932)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 27—DECEMBER 3, 2010 (AGRAHAYANA 6, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गईं विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं..... 1565

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गईं सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... 1085

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... 5

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गईं सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... 2173

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं..... 3387

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गईं पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं..... *

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 9029

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 1747

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1565
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1085
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2173
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3387
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	9029
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1747
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गईं विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 नवम्बर 2010

सं. एम.-12015/1/2010/एन.ए.डी.-9--भारत सरकार निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संबंध में सलाहकार समिति (एसीएनएएस) का एतद्द्वारा पुनर्गठन करती है :--

1. प्रो. के. सुन्दरम,
बी-103, बलवेडरे पार्क,
डी.एल.एफ. सिटी फेज-III
गुड़गांव-122002 — अध्यक्ष (गैर-सरकारी)

2. प्रो. बी. बी. भट्टाचार्य,
उप कुलपति,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली — सदस्य (गैर-सरकारी)

3. डॉ. एस. एल. शेट्टी, निदेशक,
इकॉनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली
रिसर्च फाउंडेशन, हितकारी हाऊस,
284, शहीद भगत सिंह रोड,
मुम्बई-400001 — सदस्य (गैर-सरकारी)

4. प्रो. एन. आर. भानुमूर्ति,
राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान,
18/2 सत्संग विहार मार्ग,
विशेष सांस्थानिक क्षेत्र,
नई दिल्ली-110067 — सदस्य (गैर-सरकारी)

5. डॉ. शशांक भिड़े,
वरिष्ठ अनुसंधान परामर्शदाता
राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद्,
परिशिला भवन,
11, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002 — सदस्य (गैर-सरकारी)

6. डॉ. मनोज पांडा,
निदेशक, आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन केन्द्र,
(सीईएसएस)
बेगमपेट, हैदराबाद-500016 — सदस्य (गैर-सरकारी)

7. श्री आर. पी. कत्याल,
(रा.ले.प्र.के.सां.सं. के पूर्व अध्यक्ष)
डी-23, ग्रेटर कैलाश एनक्लेव-II,
नई दिल्ली-110048 — सदस्य (गैर-सरकारी)

8. डॉ. ए. सी. कुलश्रेष्ठ,
पूर्व अपर महानिदेशक, के.सां.सं. और फैकल्टी,
यूएन-एसआईएपी, जापान,
208 ई, दूसरा तल, एमआईजी फ्लैट,
राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027 — सदस्य (गैर-सरकारी)

9. श्री प्रताप नारायण,
(रा.ले.प्र.,के.सां.सं. में पूर्व में कार्यरत)
बी-286, योजना विहार,
दिल्ली-110092 — सदस्य (गैर-सरकारी)

10. श्री रमेश कोल्लि,
107, जहाज अपार्टमेंट, इन्दर एनक्लेव,
रोहतक रोड,
पश्चिम विहार, नई दिल्ली — सदस्य (गैर-सरकारी)

11. श्री नरेश कुमार,
(रा.ले.प्र., के.सां.सं. में पूर्व में कार्यरत)
ए 5-सी/27 ए, जनक पुरी,
नई दिल्ली-110001 — सदस्य (गैर-सरकारी)

12. महानिदेशक,
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (के.सां.सं.)
नई दिल्ली-110001 — सदस्य (सरकारी)

13. महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (रा.प्र.सर्वे.का.)
नई दिल्ली-110001 — सदस्य (सरकारी)

14. प्रधान सलाहकार,
संदर्श योजना प्रभाग,
योजना आयोग, नई दिल्ली-110001 — सदस्य (सरकारी)

15. आर्थिक सलाहकार,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय,
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 — सदस्य (सरकारी)

16. मुख्य सलाहकार,
कृषि एवं सहकारिता विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 — सदस्य (सरकारी)

17.	कार्यकारी निदेशक, (डीईएपी/डीइएसएसीएस के प्रभारी) भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई	सदस्य (सरकारी)
18.	प्रभारी अधिकारी, आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई	सदस्य (सरकारी)
19.	प्रभारी अधिकारी, सांख्यिकीय विश्लेषण एवं संगणक सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई	सदस्य (सरकारी)
20.	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, आंध्र प्रदेश सरकार, खैरताबाद, पोस्ट बैग नं. 5, हैदराबाद-500004	सदस्य (सरकारी)
20.	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, प्रशासनिक भवन, 8वां तल, सरकारी कॉलोनी, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई-400051	सदस्य (सरकारी)
22.	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, असम सरकार, हाऊस होल्ड कॉम्पलैक्स, बेलताला रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006	सदस्य (सरकारी)
23.	अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, के.सां.सं., नई दिल्ली	सदस्य सचिव, (सरकारी)

2. प्रो. शिबदास बंदोपाध्याय, सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग समिति में स्थायी आमंत्री होंगे।

3. एसीएनएएस के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :--

(i) डाटा बेस की समीक्षा करना और राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 (एसएनए) की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण, टाईप अध्ययन आदि के द्वारा जुटाये गए आंकड़ों के संबंध में सलाह देना;

(ii) आर्थिक विश्लेषण और नीतिगत प्रयोजन तथा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संकलन और प्रस्तुति हेतु पद्धति के संबंध में सलाह देना।

(iii) कवरेज, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग द्वारा अनुशंसित नए वर्गीकरणों को अपनाने के मामलों में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में सुधार के लिए अध्ययन शुरू कराने के बारे में सलाह देना ताकि सरकार की नवीनतम नीतियों/प्रयासों के प्रभाव का पता लगाया जा सके और विभिन्न संस्थागत क्षेत्रों के लिए लेखाओं का अनुक्रम विकसित किया जा सके।

(iv) नई श्रंखलाओं के अनुसार राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के बारे में पद्धति संबंधी दस्तावेजों की प्रस्तुति; स्रोत एवं पद्धतियों के बारे में दिशा-निर्देश उपलब्ध कराना;

(v) राष्ट्रीय लेखाओं के संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा समिति को भेजे गए किसी अन्य मामले के संबंध में सलाह देना।

4. समिति के अध्यक्ष, यदि आवश्यक हो तो विशिष्ट मुद्दों और विभिन्न विषयों से संबंधित समस्याओं से निपटाने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से सदस्यों को सहयोजित कर सकते हैं।

5. समिति के गैर-सरकारी सदस्य तत्संबंधी नियमों और लागू आदेशों के अनुसार बैठक में शामिल होने के लिए टीए/डीए, उपस्थिति शुल्क आदि प्राप्त करेंगे और यह व्यय केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बजट अनुदान से वहन किया जाएगा।

6. राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय समिति को सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा।

7. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकारी सदस्यों के टीए/डीए पर होने वाला व्यय उस मूल मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा वहन किया जाएगा जिससे वे संबंधित हैं।

8. इसे बजट एवं वित्त विभाग के दिनांक 30.09.2010 के डायरी सं. 5437/ब. एवं वि. द्वारा प्राप्त वित्तीय सलाहकार (सांख्यिकी) की सहमति से जारी किया गया है।

चंद्र मोहन नेगी
अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 नवम्बर 2010

संकल्प

सं. ई.-11015/2/2009-हिन्दी--भारत सरकार ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। इस समिति के सदस्य और कार्य इस प्रकार होंगे :--

1.	कारपोरेट कार्य मंत्री लोक सभा के सदस्य	--	अध्यक्ष
2.	श्री हर्ष वर्धन, 19, विन्डसर प्लेस, नई दिल्ली	--	सदस्य
3.	श्री प्रह्लाद जोशी, 174, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011	--	सदस्य

राज्य सभा के सदस्य

4. श्री राजीव शुक्ल, -- सदस्य
सी/ 1/2, लोदी गार्डन,
अमृता शेरगिल मार्ग,
नई दिल्ली

5. श्री नरेश गुजराल, -- सदस्य
5, अमृता शेरगिल मार्ग,
नई दिल्ली

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि

6. श्री राजेन्द्र अग्रवाल, -- सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा)
188, नार्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली

7. श्री अशोक अर्गल, -- सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा)
4, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001

गैर सरकारी सदस्य

8. श्री हरिहर लाल श्रीवास्तव, -- सदस्य
लेखक एवं पत्रकार
के 56/31, औसानगंज,
वाराणसी-221001

9. डॉ. अनन्त प्रसाद मिश्र, -- सदस्य
पूर्व प्रधानाचार्य, जनता वि.ई. कालेज,
ग्राम-काल्हीगांव, पोस्ट-तेजगांव,
जिला-रायबरेली (उत्तर प्रदेश)

10. श्री सत्यदेव त्रिपाठी, -- सदस्य
18/62, इन्दिरा नगर,
लखनऊ-226016

11. डॉ. मधुरिमा शर्मा, -- सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी)
सेंट जॉन कॉलेज, आगरा
92, कैलाश विहार बाईपास रोड,
आगरा (उत्तर प्रदेश)

स्वैच्छिक संस्थाओं आदि के प्रतिनिधि

12. श्री पंकज दीवान, -- सदस्य
महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्,
एक्स-वाई-68, सरोजनी नगर,
नई दिल्ली-110023

13. प्रो. चंद्रदेव भ. कवड़े, -- सदस्य
अध्यक्ष, हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद
10, विवेकानंद सोसायटी, तिलक नगर,
औरंगाबाद-431005 (महाराष्ट्र)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित

14. श्री सुरेन्द्र शर्मा, -- सदस्य
सचिव, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी
313/92-बी, तुलसी नगर,
दिल्ली-110035

15. श्रीमती आशा गांधी, -- सदस्य
महासचिव, (महिला) जिला कांग्रेस कमेटी,
आर-832, न्यू राजेन्द्र नगर,
नई दिल्ली-110060

16. डॉ. आर. सुरेन्द्रन, -- सदस्य
आचार्य एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग,
कालीकट विश्वविद्यालय
साकेत (स्पिनिंग मिल के पास)
पोस्ट-चेलेंब्रा-673634 (केरल)।

17. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय -- सदस्य

18. सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार -- सदस्य

19. विशेष सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय -- सदस्य

20. क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता -- सदस्य

21. क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), नोएडा -- सदस्य

22. क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिम क्षेत्र), मुम्बई -- सदस्य

23. क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई -- सदस्य

24. क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर पश्चिम क्षेत्र), -- सदस्य
अहमदाबाद

25. क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर पूर्व क्षेत्र), गुवाहाटी -- सदस्य

26. निदेशक, गंभीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय -- सदस्य

27. सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली -- सदस्य

28. रजिस्ट्रार, प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल, -- सदस्य
नई दिल्ली

29. सचिव, कम्पनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली -- सदस्य

30. ओएसडी, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान, -- सदस्य
नई दिल्ली

31. संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी), -- सदस्य-
कारपोरेट कार्य मंत्रालय सचिव

समिति के कार्य

इस समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम/नियमों के उपबंधों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी निदेशों के कार्यान्वयन के बारे में

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए सलाह देना है।

कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से समिति के गठन संबंधी संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि :--

(1) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(2) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक की इस समिति के सदस्य रहेंगे।

(3) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण स्थान खाली होता है, तो इन स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

यात्रा तथा दैनिक भत्ते

गैर-सरकारी सदस्यों को उनके निवास स्थान से बैठक के स्थान तक सबसे कम दूरी वाले रास्ते से उनकी पात्रता संबंधी दरों पर यात्रा भत्ता दिया जाएगा। उन्हें समिति की बैठक में शामिल होने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

मुख्यालय

समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, संसदीय राजभाषा सामिति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, लोक सभा सचिवालय,राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अविनाश कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2010

संकल्प

विषय :--खनन मंत्रालय केपीएसयू का कारपोरेट सामाजिक दायित्व।

सं. 13/4/2008-समन्वय--हाल के वर्षों में विशेषकर 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद जब निजी क्षेत्र निवेश, आम तौर पर विकास क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण कारक बन गए तथा विशेष रूप से दूरवर्ती एवं अत्यधिक वंचित क्षेत्रों के समाजार्थिक विकास में निवेश करने के रूप में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) काफी ध्यान देने योग्य विषय रहा है।

2. सामान्य तौर पर सीएसआर कारपोरेट्स द्वारा किए जाने वाले स्वैच्छिक क्रियाकलाप हैं, जो सामाजिक रूप से उत्तरदायी कंपनी अपनी छवि को अपने शेयरधारकों तथा अन्य हिस्सेदारों तथा उनके स्थानीय समुदाय दोनों में दर्शाना चाहती है। तथापि, सीएसआर प्रयासों का स्वरूप और सीमा काफी परिवर्तनीय रही है।

3. इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) के संदर्भ में सरकार, सी एस आर के लिए नीति निर्माता तथा मानदंड निर्धारक दोनों है तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्वामी भी है, इसलिए पीएसयू के संबंध में इसके पास उच्चस्तरीय दायित्व है। तद्नुसार, सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सी एस आर संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

4. खनन का अपनी प्रकृति के अनुसार अपेक्षाकृत उच्च प्रतिकूल सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव है, तथा खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम का नया मसौदा, सार्वजनिक प्रकटन के लिए न केवल सीएसआर योजनाएं अपितु सीएसआर व्यय का भी प्रावधान करता है।

5. चूंकि दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य से योजना की पूरी प्रक्रिया को खान मंत्रालय में सतत् विकास अवसंरचना (एसडीएफ) के साथ संबद्ध किया गया है, यह वांछनीय है कि मंत्रालय के पीएसयू सामान्य ढांचे को तैयार करने तथा इसे अपने विशेष मामलों में लागू करने में समर्थ हो। इस प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व सचिव, खान मंत्रालय श्रीमती शांता शीला नायर, जिनको इन विषयों के संबंध में विस्तृत ज्ञान है तथा जिन्होंने इस प्रबंधन में अपनी स्वीकृति दे दी है, को नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) तथा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) के लिए सी एस आर कार्य योजनाओं में सुविधा देने के उद्देश्य से मंत्रालय के सी एस आर संबंधी परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाए। दोनों कंपनियां अपनी आवश्यकता के अनुसार उनसे परामर्श ले सकती हैं तथा उन्हें इन दो पीएसयू की सीएसआर संबंधी मंत्रालय/सी-टेम्पों की बैठकों तथा यदि आवश्यक हो तो मंत्रालय की एसडीएफ बैठकों में भी आमंत्रित किया जा सकता है। उनके बहुमूल्य इनपुटों की सुविधा के लिए इस विषय पर सभी दस्तावेज़ों को उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।

6. यह व्यवस्था, अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा पारस्परिक परामर्श के बाद सरकार द्वारा हटाए जाने तक, जो भी पहले हो, वैध होगी। श्रीमती नायर एक अवैतनिक क्षमता में कार्य करेंगी। वे अपनी हैसियत के अनुसार यात्रा और ठहरने का वास्तविक खर्च प्राप्त करने की हकदार होंगी तथा इन खर्चों का वहन परामर्श लेने वाले संगठन द्वारा किया जाएगा। अन्य मामलों में वह चेन्नई में परामर्श देने के लिए मौजूद होंगी (जहां वह वर्तमान में रह रही हैं) और इस उद्देश्य के लिए नालको चेन्नई कार्यालय के माध्यम से सचिवालीय सहायता प्रदान की जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

इसके अलावा, आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधित कार्यालयों को परिचालित की जाए।

एस. विजय कुमार
सचिव

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 नवम्बर 2010

विषय :--उपाध्यक्ष, सीएसआईआर की नियुक्ति

सं. 1/2/2010-पीडी--सीएसआईआर के नियमों एवं विनियमों के नियम 3(बी) के परंतुक के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के पदेन उपाध्यक्ष होंगे।

श्री कपिल सिब्बल ने दिनांक 11 नवम्बर, 2010 (अपराह्न) को अपना पदभार संभल लिया।

के. जयकुमार
संयुक्त सचिव (प्रशासन)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्तूबर 2010

विषय :--भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, (आईसीपीआर) नई दिल्ली के कार्य संचालन की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन।

सं. 7-42/आईसीपीआर/2010-यू-5--भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् की स्थापना सरकार द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत् पंजीकृत एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में मार्च, 1977 को की गई थी। परिषद् के संगम ज्ञापन के अनुसार भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् के मुख्य उद्देश्य तथा लक्ष्य निम्नलिखित हैं :--

(क) दर्शनशास्त्र अनुसंधान की प्रगति की समय-समय पर पुनरीक्षा करना।

(ख) दर्शनशास्त्र में अनुसंधान के कार्यक्रमों या परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना या प्रायोजित करना।

(ग) दर्शनशास्त्र में अनुसंधान के संचालन में लगे संस्थाओं और संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(घ) दर्शनशास्त्र में अनुसंधान कार्यकलापों का समन्वय करना।

2. भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् को लोक राजकोष से सहायता-अनुदान के रूप में सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

3. अपने अपेक्षित लक्ष्यों को पूरा करने में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् द्वारा की गई प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा अनिवार्य है क्योंकि भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् को दी जाने वाली सरकारी वित्तीय सहायता दार्शनिक के क्षेत्र में निधियन-अनुसंधान में सीमित सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों के नियोजन पर तथा अनुसंधान एवं अनुसंधान संस्थाओं की गुणवत्ता के प्रारंभिक स्तर के सुनिश्चयन पर आधारित होती है।

4. अतएव अब सरकार, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् के संगम ज्ञापन और नियमावली के अनुसार भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् (आईसीपीआर) के कार्य संचालन की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन कर रही है।

5. पुनरीक्षा समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :--

(i) डॉ. राजीव भार्गव -- सदस्य

(ii) प्रो. मृणाल मिरि -- सदस्य

6. पुनरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित की पुनरीक्षा शामिल होगी :--

(i) संगम ज्ञापन तथा उससे संबद्ध परिषद् के अधिदेश के अनुरूप दार्शनिक अनुसंधान के संवर्धन में परिषद् के कार्य निष्पादन (पिछले 5 वर्षों का) की समीक्षा।

(ii) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् के क्षेत्रीय केन्द्रों, अनुसंधान परियोजनाओं, सेमिनारों/सम्मेलनों, अध्येतावृत्तियों, प्रकाशन तथा सहायता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु विशेषकर पारदर्शिता, अंतरविषयक प्रवृत्ति तथा अनुसंधान मूल्यांकन और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् से अनुदान प्राप्त अध्येता/अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा प्रकाशन के संबंध में अनुसंधान स्तर तथा प्रभावकारक की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए नीतियों और कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करना।

(iii) परिषद् जिसमें परिषद् के क्षेत्रीय केन्द्र शामिल हैं, की संरचना तथा कार्यप्रणाली ताकि परिषद् भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् में अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार के लिए सुसंगत उत्प्रेरक बन सके।

(iv) अंतर-संस्थागत संबंधों तथा नेटवर्किंग के अवसर संबंधी कार्य निष्पादन।

(v) दार्शनिक अनुसंधान परिषद् अनुसंधान के क्षेत्र में समिति द्वारा यथानिर्धारित अन्य कोई मामला।

7. समिति अपनी कार्यविधि, जिसमें जहां वह आवश्यक समझें संस्थाओं के दौरे शामिल हैं, निर्धारित कर सकती है तथा इस अधिसूचना की तारीख से दो महीने की अवधि में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् की पुनरीक्षा की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

8. भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा सभी अधिकारी/कर्मचारी समिति को अपेक्षित रिकार्ड, दस्तावेज़, सूचना प्रदान करेंगे तथा पुनरीक्षा तथा रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से सहयोग करेंगे।

9. भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् (आईसीपीआर), समिति को सभी प्रकार की सचिवालय सहायता तथा संभार तंत्रीय सहयोग प्रदान करेगी तथा समिति के सदस्यों के दौरे, यदि हों, की स्थिति में यात्रा तथा आवास संबंधी व्यय को परिषद् द्वारा वहन किया जाएगा।

10. इस अधिसूचना को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

सुनिल कुमार
अपर सचिव

विषय :--भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, (आईसीएचआर) नई दिल्ली के कार्य संचालन की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन।

सं. 7-42/आईसीएचआर/2010-यू-5--भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् की स्थापना सरकार द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में 27.3.1972 को की गई थी।

परिषद् के संगम ज्ञापन के अनुसार इसके मुख्य उद्देश्य तथा लक्ष्य निम्नलिखित हैं:--

(क) इतिहास के उन उद्देश्यों तथा वैज्ञानिक लेखन जो देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक धरोहर के अभिज्ञात महत्व को बढ़ाएंगे, की वृद्धि करना।

(ख) समय-समय पर इतिहास अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना तथा उन उपेक्षित अथवा नए क्षेत्रों जिनमें अनुसंधान करना अपेक्षित है, की जानकारी देना,

(ग) इतिहास अनुसंधान कार्याक्रमों को प्रायोजित करना तथा इतिहास अनुसंधान के कार्य में लगी संस्थाओं व संगठनों को सहायता प्रदान करना।

(घ) इतिहास अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यकलापों को सहायता प्रदान करना।

2. भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् को लोक राजकोष से सहायता-अनुदान के रूप में सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

3. अपने अपेक्षित लक्ष्यों को पूरा करने में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् द्वारा की गई प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा अनिवार्य है क्योंकि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् को दी जाने वाली सरकारी वित्तीय सहायता इतिहास के क्षेत्र में निधियन-अनुसंधान में सीमित सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों के नियोजन पर तथा अनुसंधान एवं अनुसंधान संस्थाओं की गुणवत्ता के प्रारम्भिक स्तर के सुनिश्चियन पर आधारित होती है।

4. अतएवं अब सरकार, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, (आईसी एचआर) नई दिल्ली के नियम 15 के अनुसार भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् (आईसीएचआर) के कार्य संचालन की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन कर रही है।

5. पुनरीक्षा समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल शामिल होंगे:--

(i) प्रो. सतीश चन्द्र -- सदस्य

(ii) प्रो. अमिय कुमार बागची -- सदस्य

6. पुनरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित की पुनरीक्षा शामिल होगी :--

(i) संगम ज्ञापन तथा उससे संबद्ध परिषद् के अधिदेश के अनुरूप इतिहास के अनुसंधान के संवर्धन में परिषद् के कार्यनिष्पादन (पिछले 5 वर्षों के) की पुनरीक्षा करना।

(ii) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के क्षेत्रीय केन्द्रों, अनुसंधान परियोजनाओं, सेमिनारों/सम्मेलनों, अध्येतावृत्तियों, प्रकाशन तथा सहायता, विशेषकर पारदर्शिता, अंतरविषयक प्रवृत्ति तथा अनुसंधान मूल्यांकन - भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् से सहायता प्राप्त करने वाले इसके अध्येताओं/अनुसंधानकर्ताओं द्वारा प्रकाशन के संबंध में अनुसंधान स्तर तथा प्रभावकारक की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए नीतियों और कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करना।

(iii) परिषद् जिसमें परिषद् के क्षेत्रीय केन्द्र शामिल हैं, की संरचना तथा कार्यप्रणाली की पुनरीक्षा करना ताकि परिषद् इतिहास में अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार के लिए सुसंगत उत्प्रेरक बन सके।

(iv) अंतर-संस्थागत संबंधों तथा नेटवर्किंग के अवसर संबंधी कार्य निष्पादन।

(v) इतिहास अनुसंधान के क्षेत्र में समिति द्वारा यथानिर्धारित अन्य कोई मामला।

7. समिति अपनी कार्यविधि, जिसमें जहां वह आवश्यक समझें संस्थाओं के दौरे शामित हैं, निर्धारित कर सकती है तथा इस अधिसूचना की तारीख से दो महीने की अवधि में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् की पुनरीक्षा संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

8. भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा सभी अधिकारी/कर्मचारी समिति को अपेक्षित रिकार्ड, दस्तावेज़, सूचना प्रदान करेंगे तथा पुनरीक्षा तथा रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से सहायोग करेंगे।

9. भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् (आईसीएचआर), समिति को सभी प्रकार की सचिवालय सहायता तथा संभार तंत्रीय सहायोग प्रदान करेगी तथा समिति के सदस्यों के दौरे, यदि हों, की स्थिति में यात्रा तथा आवास संबंधी व्यय को परिषद् द्वारा वहन किया जाएगा।

10. इस अधिसूचना को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

सुनिल कुमार
अपर सचिव

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 11th November 2010

No. M-12015/1/2010-NAD-9—The Government of India hereby reconstitutes the Advisory Committee on National Accounts Statistics (ACNAS) with the following members :—

1.	Prof. K. Sundaram, B-103, Belvedere Park, DLF City Phase-III, Gurgaon-122002	Chairman (Non-Official)
2.	Prof. B. B. Bhattacharya, Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru University, New Delhi	Member (Non-Official)
3.	Dr. S. L. Shetty, Director Economic & Political Weekly Research Foundation, Hitkari House, 284, Shaheed Bhagat Singh Road, Mumbai-400001	Member (Non-Official)
4.	Prof. N. R. Bhanumurthy National Institute of Public Finance & Policy, 18/2, Satsang Vihar Marg, Special Institutional Area, New Delhi-110067	Member (Non-Official)
5.	Dr. Shashank Bhide, Senior Research Counselor, National Council of Applied Economic Research, Parshila Bhavan, 11, IP Estate, New Delhi-110002	Member (Non-Official)
6.	Dr. Manoj Panda, Director, Centre for Economics and Social Studies (CESS), Begumpet, Hyderabad-500016	Member (Non-Official)
7.	Shri R. P. Katyal, (Former Head NAD, CSO) D-23, Greater Kailash Enclave-II New Delhi-110048	Member (Non-Official)
8.	Dr. A. C. Kulshreshtha, Former ADG, CSO and Faculty, UN-SIAP, Japan 208-E, 2nd Floor, MIG Flat, Rajouri Garden, New Delhi-110027	Member (Non-Official)
9.	Shri Pratap Narain, (Formerly from NAD, CSO) B-286, Yojana Vihar, Delhi-110092	Member (Non-Official)
10.	Shri Ramesh Kolli, 107, Jahaz Apartments, Inder Enclave, Rohtak Road, Paschim Vihar, New Delhi	Member (Non-Official)
11.	Shri Naresh Kumar, (Formerly from NAD, CSO) A5C/27A, Janak Puri, New Delhi-110058	Member (Non-Official)
12.	Director General, Central Statistics Office (CSO) New Delhi-110001	Member (Official)
13.	DG & Chief Executive Officer, National Sample Survey Office (NSSO), New Delhi-110001	Member (Official)
14.	Principal Adviser, Perspective Planning Division Planning Commission, New Delhi-110001	Member (Official)
15.	Economic Adviser, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi-110001	Member (Official)
16.	Principal Adviser, Department of Agriculture & Cooperation, Krishi Bhawan, New Delhi-110001	Member (Official)
17.	Executive Director, (In charge of DEAP/DESACS), Reserve Bank of India, Mumbai	Member (Official)
18.	Officer-in-charge, Department of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India, Mumbai	Member (Official)
19.	Officer-in-charge, Department of Statistical Analysis And Computer Services, Reserve Bank of India, Mumbai	Member (Official)
20.	Director, Dte. of Economics & Statistics, Government of Andhra Pradesh, Khairtabad, Post Bag No. 5, Hyderabad-500004	Member (Official)
21.	Director, Dte. of Economics & Statistics, Government of Maharashtra, Administrative Building, 8th Floor, Govt. Colony, Bandra East, Mumbai-400051	Member (Official)
22.	Director, Dte. of Economic & Statistics Goverment of Assam, Household Complex, Beltala Road, Dispur, Guwahati-781006	Member (Official)

23.	Additional Director General, National Accounts Division, CSO, New Delhi	Member Secretary (Official)

2. Prof. Shibdas Bandyopadhyay, Member, NSC will be a permanent Invitee in the Committee.

3. The terms of reference for the ACNAS are :

(i) To review the data base and advise on data collection through sample surveys, type studies etc. for implementing the recommendations of the System of National Accounts-2008 (SNA-2008);

(ii) To advise on the methodology for compilation and presentation of National Accounts Statistics for purposes of economic analysis and policy and on promotion of research in the field of National Accounts Statistics;

(iii) To advise on undertaking studies for improvement of National Accounts Statistics in terms of coverage, adoption of new classifications recommended by the UN Statistics Division to capture impact of recent policies/efforts of the Government and development of sequence of accounts for various institutional sectors;

(iv) To provide guidelines on the presentation of methodology document on National Accounts Statistics; Sources and Methods as per new series; and

(v) To advise on any other matter referred to the committee by the National Statistical Commission in respect of National Accounts.

4. The Chairman of the Committee may, if necessary, with prior approval of the Central Government, co-opt members for dealing with the specific issues and problems relating to different subjects.

5. The non-official members of the Committee will draw TA/DA, sitting fee etc., for attending the meetings of the Committee in accordance with the relevant rules and orders in force and the expenditure will be met within the budget grant of CSO, Ministry of Statistics & P.I.

6. Secretarial assistance to the Committee will be provided by the National Accounts Division, Central Statistics Office, Ministry of Statistics & P.I.

7. The expenditure of the official members on TA/DA for attending the meetings of the Committee will be borne by the parent Ministry/Department/Organization to which they belong.

8. This issues with the concurrence of Financial Adviser (Statistics) vide Budget & Finance Section Dy. No. 5437/ B&F dated 30th October, 2010.

C. M. NEGI
Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 9th November 2010

RESOLUTION

No. E.11015/2/2009-Hindi—The Government of India has decided to constitute the Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Corporate Affairs. The Composition of the Samiti and its functions etc. will be as under :—

1. Minister of Corporate Affairs — Chairman

Members of Lok Sabha

2. Shri Harsh Vardhan — Member
19, Windsor Place,
New Delhi

3. Shri Pralhad Joshi — Member
174, South Avenue,
New Delhi-110011

Members of Rajya Sabha

4. Shri Rajeev Shukla — Member
C-1/2, Lodhi Garden,
Amrita Sher Gil Marg,
New Delhi

5. Shri Naresh Gujral — Member
5, Amrita Sher Gil Marg,
New Delhi

Representatives of Parliamentary Committee

6. Shri Rajendra Agrawal — Member
MP (Lok Sabha)
188, North Avenue,
New Delhi

7. Shri Ashok Argal — Member
MP (Lok Sabha)
4, Firozshah Road,
New Delhi-110001

Non-Official Members

8. Shri Harihar Lal Shrivastava — Member
Writer and Journalist
K 56/31, Ousanganj,
Varanasi-221001

9. Dr. Anant Prasad Mishra — Member
Ex-Principal, Janta V. E. College
Vill-Kalhigoan, Post-Tejgoan,
Distt-Rai Bareilly (UP)

10. Shri Satya Dev Tripathi — Member
18/62, Indira Nagar,
Lucknow-226016

11. Dr. Madhurima Sharma — Member
Associate Professor and HoD (Hindi)
St. John College, Agra
92, Kailash Vihar Bypass Road,
Agra (UP)

Representatives of Voluntary Organisations

12. Shri Pankaj Divan — Member
General Secretary, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad
XY-68, Sarojini Nagar,
New Delhi-110023

13. Prof. Chandradev B. Kavde — Member
Chairman, Hindi Prachar Sabha,
Hyderabad
10, Vivekanand Society, Tilak Nagar,
Aurangabad (Maharashtra)-431005

Nominated by Department of Official LanguageS Ministry of Home Affairs

14. Shri Surender Sharma — Member
Secretary, Delhi Pradesh Congress Committee
313/92-B, Tulsi Nagar,
Delhi-110035

15. Smt. Asha Gandhi — Member
General Secretary, (Mahila)
Zila Congress Committee
R-832, New Rajendra Nagar
New Delhi-110060

16. Dr. R. Surendran — Member
Prof. and Head, Department of Hindi,
Calicat University
Saket, Near Spinning Mill,
Post-Chelambra
Kerala-673634

17. Secretary, Ministry of Corporate Affairs — Member

18. Secretary, D/o Official Language and Hindi Advisor to Govt. of India — Member

19. Special Secretary, Ministry of Corporate Affairs — Member

20. Regional Director (ER), Kolkata — Member

21. Regional Director (NR), Noida — Member

22. Regional Director (WR), Mumbai — Member

23. Regional Director (SR), Chennai — Member

24. Regional Director (NWR), Ahemadabad — Member

25. Regional Director (NER), Guwahati — Member

26. Director, Serious Fraud Investigation Office — Member

27. Secretary, Competition Commission of India — Member

28. Registrar, Competition Appellate Tribunal — Member

29. Secretary, Company Law Board — Member

30. OSD, Indian Institute of Corporate Affairs — Member

31. Joint Secretary (In-charge Official Language) Ministry of Corporate Affairs — Member Secretary

Functions of the Samiti

The functions of the Samiti are to render advice in regard to the implementation of the provisions relating to Official Language Hindi contained in the Constitution, Official Languages Act and Rules, and Policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry of Home Affairs/Department of Official Language relating to Official Language Hindi and also in regard to the Progressive use of Hindi in the Ministry of Corporate Affairs.

TENURE

The tenure of the members of the Samiti shall ordinarily be three years from the date of its constitution provided that :

A. A member, who is Member of Parliament, ceases to be a member of the Samiti as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament.

B. Ex-Officio Member of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of Samiti.

C. If a vacancy arises in the Samiti due to resignation, death etc. of the member, the member appointed on the vacancy shall hold office for the residual term of three years.

TRAVELLING AND DAILY ALLOWANCE

The Non-official members will be paid travelling allowances by shortest route from their residence to the place of meeting as per their entitlement. They will also be paid daily allowance on rates fixed by Government of India from time to time.

HEADQUARTERS

The headquarters of the Samiti shall be at New Delhi, but if considered necessary, it may hold its meetings at any other place also.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all Members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretary, President's Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all the Ministries and Department of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. K. SHRIVASTAVA
Jt. Secy.

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 9th November 2010

RESOLUTION

Subject :—Corporate Social Responsibility of Mining Ministry PSU

No. 13/4/2008-CDN—The issue of Coorporate Social Responsibility (CSR) has been a matter of considerable attention in recent years, particularly after the economic liberalization of 1991 when private sector investments became an important factor in development activities in general and as an investment in socio-economic development of the remoter and more deprived areas in particular.

2. CSR has been a voluntary activity in general, driven by corporates wanting to project the image of a socially responsive compay both to their shareholders and other stakeholders and to the local community. However, the nature and extent of CSR effort has been very variable.

3. In addition, in the context of Public Sector Undertaking (PSUs), Government, being both a policy maker and standard setter for CSR and also the owner of PSUs, has a higher level of responsibility with regard to PSUs. Accordingly, guidelines for CSRs by Central Public Sector Enterprises have been issued by the Government.

4. Mining by its very nature has relatively high adverse socio-economic and environmental impacts and the new draft Mines and Minerals (Development and Regulation) Act provides for public disclosure of not only CSR plans but also of CSR expenditures.

5. Since the entire porcess of planning from a long-term perspective is linked in the Mines Ministry with the Sustainable Development Framework (SDF), it is desirable that the Ministy's PSUs should be adequately able to draw on the general framework and apply it to their particular case. In order to facilitate this process, it has been decided that former Secretary, Ministry of Mines, Smt. Santha Sheela Nair, who has extensive knowledge in these matters, and who has agreed to the arrangement, may be designated as a 'Mentor' or CSR for the Ministry for the purpose of facilitating the CSR Action Plans for National Aluminium Company Limited (NALCO) and Hindustan Copper Limited (HCL). The two companies will be free to consult her as per requirement, and she may be invited to Ministry/C-TEMPO meetings on CSR for the two PSUs and also, as and when necessary, to the SDF meetings in the Ministry. All documents on the subject will be shared with her in order to facilitate her valuable inputs.

6. This arrangement will be valid for a period of one year from the date of notification, or till withdrawn by the Government after mutual consultation, whichever is earlier. Smt. Nair would work in an honorary capacity. She would be eligible for actual expenses of travel and stay as permissible to her status, and these expenses shall be met by the consulting organization. In other cases she will be available for consultation in Chennai (where she is presently based) with NALCO providing secretarial assistance through its Chennai office for the purpose.

ORDER

Ordered that the Resolution be Published in the Gazette of India.

Ordered further that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

S. VIJAY KUMAR
Secy.

COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

New Delhi-110001, the 12th November 2010

Subject :—Appointment of Vice-President, CSIR

No. 1/2/2010-PD—In pursuance of the proviso to Rule 3 (b) of the Rules & Regulations of CSIR, Shri Kapil Sibal, Minister of Science & Technology shall be the ex-officio Vice-President, CSIR.

Shri Sibal assumed the charge of his office with effect from 11th November, 2010 (AN).

K. JAYAKUMAR
Jt. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-110115, the 28th October 2010

Subject :—Constitution of Committee to Review the functioning of Indian Council of Philosophical Research (ICPR), New Delhi

No. F-7-42/ICPR/2010-U.5—Whereas, the Indian Council of Philosophical Research (ICPR), established by the Government in March 1977 as autonomous society registered under the Registration of Societies Act, 1860, have the following aims and objectives as per the Council's Memorandum of Association :—

(a) To review the progress of research in Philosophy from time to time

(b) To sponsor or assist projects or programmes of research in Philosophy

(c) To given financial support to institutions and organisations engaged in the conduct of research in Philosophy

(d) To coordinate research activities in Philosophy

2. And whereas, the ICPR is supported by the Government by way of grants-in-aid from the public Exchequer;

3. And further whereas, it is imperative that the progress made by ICPR in fulfilling its desired objectives is reviewed periodically because Government financial assistance to ICPR is application of limited public financial resources into funding philosophical research as well as to ensure that there is a particular threshold level of the quality of research;

4. Now therefore, the Government hereby constitutes a Committee to Review the functioning of Indian Council of Philosophical Research (ICPR) as per Rule 25 of the of Memorandum of Association and Rules of Indian Council of Philosophical Research (ICPR).

5.The Review Committee will include the following persons :—

(i) Dr. Rajiv Bhargava—Member

(ii) Prof. Mrinal Miri—Member

6. The terms of Reference of the Review Committee shall include the review of :—

(i) Review performance of the Council (in the last 5 years) in promoting research in Philosophy in terms of its mandate in the MoA and the impediment thereto;

(ii) Review policies and programmes of ICPR, regional centres, research projects, seminars/conferences, fellowships, publications and support thereof and promotion of international collaborations, especially keeping in mind the relevance of transparency, interdisciplinary nature and research evalution-standards of research and impact factor in regard to publication by its scholars/researchers, who are recipients of grants from ICPR;

(iii) Review structure and functioning of the Council, including the Regional Centre(s) of the Council, so that the Council becomes a relevant catalyst towards improving the quality of research in philosophy;

(iv) Inter-Institutional relationships and opportunities of networking;

(v) Any other matter as decided by the Committee within the realm of research in philosophy.

7. The Committee may lay down its own procedure, including that of visits to institutions, where is feels necessary to do so, and shall submit its report of the Review of ICPR within a period of two months from the date of this notification.

8. Chairman, Member Secretary and all officers/officials of ICPR shall provide necessary records, documents, information to the Committee and fully cooperate with it during the process of review and preparation of the report.

9. Indian Council of Philosophical Research (ICPR) shall provide all secretarial assistance and logistics support to the Committee, and expenditure on travel and accommodation of the Committee Members on its visits, if any, shall be borne by the Council.

10. This notification issues with the approval of the Competent Authority.

SUNIL KUMAR
Addl. Secy.

Subject :— Constitution of Committee to Review the functioning of Indian Council of Historical Research (ICHR), New Delhi

No. F-7-42/ICHR/2010-U-5— Whereas, the Indian Council of Historical Research (ICHR), established by the Government on 27.03.1972 as an autonomous society registered under the Registration of Societies Act, 1860, have the following aims and objectives as per the Council's Memorandum of Association :—

(a) To foster objectives and scientific writing of history such as will inculcate an informed appreciation of the country's national and cultural heritage;

(b) To review the progress of historical research from time to time and indicate neglect or new areas where research needs to be specially promoted;

(c) To sponsor historical research programmes and assist institutions and organisations engaged in historical research;

(d) To coordinate research activities in the field of historical research.

2. And Whereas, the ICHR is supported by the Government by way of grants-in-aid from the Public Exchequer;

3. And Further Whereas, it is imperative that the progress made by ICHR in fulfilling its desired objectives is reviewed periodically because Government financial assistance to ICHR is application of limited public financial resources into funding historical research as well as to ensure that there is a particular threshold level of the quality of research;

4. Now Therefore, the Government hereby constitutes a Committee to Review the functioning of Indian Council of Historical Research (ICHR) as per Rule 15 of the Memorandum of Association and Rules of Indian Council of Historical Research (ICHR).

5. The Review Committee will include the following persons :—

(i) Prof. Satish Chandra — Member

(ii) Prof. Amiya Kumar Bagchi — Member

6. The Terms of Reference of the Review Committee shall include the review of :—

(i) Review performance of the Council (in the last 5 years) in promoting historical research in terms of its mandate in the MoA and the impediment thereto;

(ii) Review policies and programmes of ICHR, regional centres, research projects, seminars/conferences, fellowships, publications and support thereof, especially keeping in mind the relevance of transparency, interdisciplinary nature and research evalunation - standards of research and impact factor in regard to publication by its scholars/ researchers, who are recipients of grants from ICHR;

(iii) Review strcuture and functioning of the Council, including the Regional Centres of the Council, so that the Council becomes a relevant catalyst towards improving the quality of historical research;

(iv) Inter-Institutional relationships and opportunities of networking;

(v) Any other matter as decided by the Committee within the realm of historical research.

7. The Committee may lay down its own procedure, including that of visits to institutions, where is feels necessary to do so, and shall submit its report of the Review of ICHR within a period of Two months from the date of this notification.

8. Chairman, Member Secretary and all officers/officials of ICHR shall provide necessary records, documents, information to the Committee and fully cooperate with it during the process of review and preparation of the report.

9. Indian Council of Historical Research (ICHR) shall provide all secretarial assistance and logistics support to the Committee, and expenditure on travel and accommodation of the Committee Members on its visits, if any, shall be borne by the Council.

10. This notification issues with the approval of the Competent Authority.

SUNIL KUMAR
Additional Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010